भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1939

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना, मृत्यु और सड़क सुरक्षा

1939. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में रिपोर्ट की गई सड़क दुर्घटना, मृत्यु होने और घायल होने और पैदल यात्रियों की मृत्यु होने और घायल होने का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अत्यधिक गति से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ध्यान भटकने, खराब सड़क इंजीनियरिंग, गड्ढे, अपर्याप्त संकेतकों और अन्य कारणों से हुई दुर्घटनाओं का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों पर पहचाने गए दुर्घटना-संभावित ब्लैक स्पॉटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनों को सुधारा जा चुका है तथा कितने सुधार हेतु लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़क गलियारों पर सड़क सुरक्षा मानकों, क्रैश बैरियरों, पैदल यात्री सुविधाओं, सड़क चिह्नों और यातायात को नियंत्रित करने वाले उपायों के अनुपालन के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देशभर में सड़क सुरक्षा प्रवर्तन को मजबूत करने, सड़क इंजीनियरिंग में सुधार करने, आपातकालीन ट्रॉमा केयर को बढ़ाने और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए कोई उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2021 से 2025 और 2026 (27.07.2026 तक) के दौरान देश में सभी श्रेणियों की सड़कों पर हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं और मौतों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है और वर्ष 2021 से 2025 और 2026 (27.07.2026 तक) के दौरान पैदल चलने वालों की मौतों और चोटों का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ख) आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं बहु-कारणीय होती हैं और विभिन्न कारकों की परस्पर क्रिया का परिणाम हैं। इन्हें मुख्य तौर पर (i) मानवीय चूक, (ii) सड़क की स्थिति/वातावरण और (iii) वाहन की स्थिति में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रमुख कारणों (यातायात नियमों का उल्लंघन) जिसमें तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना और अन्य कारण शामिल हैं, के अनुसार वर्गीकृत सड़क दुर्घटनाओं का विवरण तालिका 1 में दिया गया है, और वर्ष 2021 से 2025 और 2026 के दौरान गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 1:

भारत में यातायात नियमों के उल्लंघन के आधार पर वर्गीकृत सड़क दुर्घटनाएँ						
श्रेणी	2021	2022	2023	2024	2025*	2026**
तेज गति से वाहन चलाना	2,95,522	3,33,323	328727	345024	82,124	46,075
नशे में/शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना	9,150	10,080	9143	8270	2,589	1,443
गलत लेन में वाहन चलाना/लेन अनुशासनहीनता	21,491	22,586	25242	22530	4,089	2,397
लाल बत्ती का उल्लंघन	2,203	4,021	2440	1559	276	193
मोबाइल फोन का उपयोग	6,530	7,558	7122	4935	136	84
अन्य	77,536	83,744	107909	105389	4,28,075	2,33,552
संपूर्ण भारत	4,12,432	4,61,312	4,80,583	487707	5,19,314	2,85,770

*, ** ई-डीएआर के अनुसार वर्ष 2025 और 2026 (27.07.2026 तक) के आंकड़े।

तालिका 2

निम्न कारणों से हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या			
वर्ष	गड्ढे	चालक का ध्यान भटकना	सड़क की खराब स्थिति के कारण दुर्घटना
2022	289	47,049	22,647
2023	294	1,23,322	39,388
2024	229	1,46,025	37,865
2025	294	2,03,897	46,898
2026 - 27.07.2026 तक	100	1,51,526	29,628
टिप्पण:1 दिए गए डेटा सेट (चालक का ध्यान भटकना, सड़क की स्थिति के कारण दुर्घटना) राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा ई-डीएआर पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं।			
टिप्पण:2 दिए गए गड्ढों के डेटा सेट राज्य राजमार्ग अधिकारियों द्वारा ई-डीएआर पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं।			

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के कुछ खंडों को ब्लैक कॉरिडोर के रूप में चिह्नित किया गया है, जो ब्लैक स्पॉट की परिभाषा को पूरा करने वाले निरंतर खंड हैं, अर्थात् ऐसे स्थान जहां घातक और गंभीर चोटों वाली दुर्घटनाओं की एक निश्चित संख्या घटित होती है। इन ब्लैक कॉरिडोर की पहचान कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) द्वारा विकसित एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की गई है। वर्ष 2023-2025 की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) से उपलब्ध दुर्घटना आंकड़ों के आधार पर, 6,358 ब्लैक कॉरिडोर की पहचान की गई है।

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, नियमावली, कार्यप्रणाली (कोड ऑफ प्रैक्टिस) और सड़क एवं पुल निर्माण संबंधी विशिष्टताओं के अनुसार किए जाते हैं। डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों में आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और उद्घाटन-पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा (ऑडिट) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

ब्लैक कॉरिडोर की तत्काल मरम्मत के लिए अल्पकालिक उपायों में सड़क चिह्नांकन, साइनेज, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिवाइडर, अनधिकृत मीडियन ओपनिंग को बंद करना, यातायात नियंत्रण उपाय, राजमार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि शामिल हैं। ब्लैक कॉरिडोर की मरम्मत के लिए दीर्घकालिक उपाय जैसे सड़क ज्यामिति में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्थानिक (स्पॉट) चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि भी स्थल (साइट) की आवश्यकता के अनुसार स्थायी मरम्मत उपायों के रूप में किए जाते हैं। दीर्घकालिक मरम्मत कार्यों में निर्माण-पूर्व कार्यकलाप जैसे भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण शामिल हैं, जिनमें काफी समय लगता है।

(ङ) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए 4ई अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, देश में सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-III में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

'सड़क दुर्घटना, मृत्यु और सड़क सुरक्षा' के संबंध में श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे के द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1939 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		दुर्घटनाएं	मौतें	घायल	दुर्घटनाएं	मौतें	घायल	दुर्घटनाएं	मौतें	घायल	दुर्घटनाएं	मौतें	घायल	दुर्घटनाएं	मौतें	घायल	दुर्घटनाएं	मौतें	घायल
1	आंध्र प्रदेश	21,556	8,186	21,040	21,249	8,293	21340	19,949	8,137	20409	19557	8346	19894	18411	8326	19275	9910	4510	10793
2	अरुणाचल प्रदेश	283	157	347	227	148	186	287	145	257	277	168	204	104	85	113	58	35	64
3	असम	7,411	3,036	5,763	7,023	2,994	5637	7,421	3,296	5917	7848	3351	7129	16026	3907	20190	9758	2193	12419
4	बिहार	9,553	7,660	7,946	10,801	8,898	7068	11,014	8,873	6539	11610	9347	7090	12683	10394	6827	7440	6249	4401
5	छत्तीसगढ़	12,375	5,371	10,683	13,279	5,834	11695	13,468	6,166	11723	14857	6945	12484	13598	6491	13121	6110	2833	6692
6	गोवा	2,849	226	843	3,011	271	1091	2,846	290	1178	2682	286	1041	2375	273	2034	1479	149	1327
7	गुजरात	15,186	7,452	13,690	15,751	7,618	15089	16,349	7,854	15383	15588	7717	14940	18292	8402	18813	16112	4763	19835
8	हरियाणा	9,933	4,706	8,121	10,429	4,915	8519	10,463	4,968	8346	9806	4689	7914	15139	5168	16640	6338	3022	6543
9	हिमाचल प्रदेश	2,404	1,052	3,454	2,597	1,032	4063	2,253	889	3304	2156	869	3226	1929	802	3019	1416	565	2274
10	झारखंड	4,728	3,513	3,227	5,175	3,898	3747	5,315	4,173	3585	5196	4114	3266	5969	4821	3975	3210	2581	2405
11	कर्नाटक	34,647	10,038	40,754	39,762	11,702	48154	43,440	12,321	52547	43062	12390	52591	43127	12147	56519	24929	6935	32664
12	केरल	33,296	3,429	36,775	43,910	4,317	49307	48,091	4,080	54320	48834	3880	54796	52632	3933	63591	29494	2361	36180
13	मध्य प्रदेश	48,877	12,057	48,956	54,432	13,427	55168	55,327	13,798	55769	56669	14791	58202	52131	14841	63115	34947	8098	46078
14	महारा	29,4	13,5	23,0	33,3	15,2	2723	35,2	15,3	2976	3611	1571	3053	3386	1675	3770	1922	9279	2164

	ष्ट्र	77	28	71	83	24	9	43	66	4	8	5	5	9	9	5	9		1
15	मणिपुर	366	110	504	508	127	817	398	73	634	299	72	462	345	103	501	205	57	304
16	मेघालय	245	187	263	246	162	310	223	168	259	269	197	228	223	149	321	140	53	274
17	मिजोरम	69	56	65	133	113	107	106	96	116	118	110	129	71	51	43	40	39	40
18	नागालैंड	746	55	380	489	73	291	303	86	257	129	62	178	88	29	114	77	26	91
19	ओडिशा	10,983	5,081	9,782	11,663	5,467	10302	11,992	5,739	10369	12375	6142	10770	10713	6358	10716	6188	3621	6467
20	पंजाब	5,871	4,589	3,072	6,138	4,756	3324	6,269	4,829	3206	6063	4759	3333	4254	3062	3201	1935	1396	1485
21	राजस्थान	20,951	10,043	19,344	23,614	11,104	22293	24,694	11,762	23041	24838	11790	22927	33590	12493	28105	14522	6893	15297
22	सिक्किम	155	56	244	211	92	354	182	57	362	149	67	264	141	72	222	72	30	96
23	तमिलनाडु	55,682	15,384	55,996	64,105	17,884	67703	67,213	18,347	72292	67526	18449	71493	71195	18511	87569	39666	10298	49308
24	तेलंगाना	21,315	7,557	20,107	21,619	7,559	20209	22,903	7,660	21022	25986	7949	23658	26684	7565	26019	16179	4452	16043
25	त्रिपुरा	479	194	547	575	241	541	577	261	609	578	226	622	477	224	583	517	117	819
26	उत्तराखंड	1,405	820	1091	1,674	1,042	1613	1,691	1,054	1488	1747	1090	1547	1931	1288	2123	1238	759	1302
27	उत्तर प्रदेश	37,729	21,227	24,897	41,746	22,595	28541	44,534	23,652	31098	46052	24118	34665	49675	27547	41558	26718	14794	26118
28	पश्चिम बंगाल*	11,937	5,800	10,454	13,686	6,002	12843	13,795	6,027	12615	13702	6676	12518	13804	6669	13985	6663	3361	6181
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	115	20	97	141	19	136	143	24	154	135	29	139	181	25	295	119	18	249
30	चंडीगढ़	208	96	172	237	83	203	182	67	171	169	75	133	377	77	489	242	28	313
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और	140	76	171	196	90	273	182	74	233	152	95	136	149	103	196	76	58	87

	दीव																		
32	दिल्ली	4,720	1,239	4,273	5,652	1,461	5201	5,834	1,457	5470	5657	1551	5224	5994	1463	6517	6875	810	4508
33	जम्मू और कश्मीर	5,452	774	6972	6,092	805	8372	6,298	893	8469	5808	831	7820	5318	984	7594	3269	603	4775
34	लद्दाख	236	56	242	374	62	346	289	59	340	264	61	323	287	71	503	235	39	368
35	लक्षद्वीप	4	1	6	3	2	2	1	0	1	0	0	0	3	0	4	0		0
36	पुदुचेरी	1,049	140	1099	1,181	181	1282	1,308	149	1578	1431	218	1560	1689	241	2118	1041	114	1284
कुल (संपूर्ण भारत)		412432	153972	384448	461312	168491	443366	480583	172890	462825	487707	177175	471441	513474	183434	557713	296447	101139	338725

1. *वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल का आंकड़े (डेटा) दिनांक 05.01.2026 तक का ईडीएआर डेटा है।
2. वर्ष 2025 और 2026 के लिए दिनांक 27.07.2026 तक का डेटा ईडीएआर के अनुसार है।

अनुलग्नक-II

'सड़क दुर्घटना, मृत्यु और सड़क सुरक्षा' के संबंध में श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे के द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1939 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य-वार पैदल यात्रियों की मौतें और चोटें

		मौतें						घायल					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	आंध्र प्रदेश	1346	1604	1645	1739	1857	986	2355	2689	2541	2541	2422	1192
2	अरुणाचल प्रदेश	2	7	1	1	13	4	6	14	2	1	14	3
3	असम	713	506	793	877	1359	739	952	844	984	1151	3238	1768
4	बिहार	2798	3345	3462	4149	4582	2423	1944	1797	1658	1572	1549	858
5	छत्तीसगढ़	701	741	942	1018	1016	388	1126	1197	1263	1311	1595	672
6	गोवा	36	51	44	42	58	23	43	83	97	80	184	122
7	गुजरात	1473	1568	1757	1747	2100	1077	1464	1717	1843	1755	2570	2223
8	हरियाणा	1233	1231	1386	866	1490	808	1835	1780	2275	1221	2655	1010
9	हिमाचल प्रदेश	164	199	122	185	141	82	484	536	318	521	403	254
10	झारखंड	496	479	718	702	1550	767	315	287	369	324	622	321
11	कर्नाटक	1680	2105	2418	2321	2528	1390	4548	5726	6660	6444	7792	4201
12	केरल	818	1158	1147	1058	1118	653	5913	9177	9948	10380	11433	6090
13	मध्य प्रदेश	1715	1672	1793	1928	3115	1489	6043	6179	6962	6305	10438	6466
14	महाराष्ट्र	2677	2894	3110	3344	3621	2002	3867	4338	5085	5452	5413	3040
15	मणिपुर	19	32	17	20	22	11	60	74	96	47	58	40
16	मेघालय	54	42	56	58	48	10	33	18	39	30	35	24
17	मिजोरम	6	9	17	20	9	2	6	3	4	8	5	7
18	नागालैंड	12	10	19	9	7	5	9	3	7	15	13	19
19	ओडिशा	602	800	848	735	1403	695	767	1115	1034	871	1333	713
20	पंजाब	461	608	716	746	591	242	182	243	266	271	303	137
21	राजस्थान	1291	1745	1878	2042	2847	1513	1887	2454	2706	3014	4213	2225
22	सिक्किम	4	9	12	7	12	2	17	19	26	37	25	8
23	तमिलनाडु	3647	4427	4577	4712	4472	2328	9655	11637	12772	12533	13530	7240
24	तेलंगाना	1310	1458	1554	1586	1629	833	2699	2937	3209	3767	3872	2396
25	त्रिपुरा	60	81	75	75	88	55	94	116	116	127	100	129
26	उत्तराखंड	193	290	223	303	9238	4430	231	390	270	297	10299	5480
27	उत्तर प्रदेश	1985	1959	2075	2131	241	148	2144	2399	2551	2863	292	180
28	पश्चिम बंगाल*	2911	2938	2926	3241	2884	1341	3261	3906	4072	3817	3684	1560
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	3	10	8	6	3	18	28	39	19	40	27
30	चंडीगढ़	24	23	28	28	24	7	19	31	36	26	75	65

31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	29	21	29	24	ना	ना	22	30	32	12	ना	ना
32	दिल्ली	504	629	622	584	29	16	1536	1777	1941	1777	25	11
33	जम्मू और कश्मीर	101	131	158	144	477	226	754	1108	1264	1245	1715	1005
34	लद्दाख	1	4	1	4	305	174	0	4	10	3	1392	881
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	43	27
36	पुदुचेरी	49	46	42	72	77	29	178	208	252	263	327	219
कुल		29124	32825	35221	36526	48039	24446	54467	64864	70747	70100	88090	48378

टिप्पण: 1. वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े, राज्य पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2023 के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और वर्ष 2024 के लिए राज्य के कुल ई-डीएआर आंकड़ों के आधार पर परिवर्तित किए गए हैं।

2. एनए: उपलब्ध नहीं

3. वर्ष 2025 और 2026 के लिए ई-डीएआर से लिया गया दिनांक 27.07.2026 तक का डेटा।

अनुलग्नक-III

'सड़क दुर्घटना, मृत्यु और सड़क सुरक्षा' के संबंध में श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे के द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1939 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए की गई विभिन्न पहलों का विवरण: -

(1) शिक्षा:

i. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना। हाल ही में, संशोधित योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि और पात्रता मानदंडों को सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण-परीक्षण क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआई) के साथ मिलकर स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है।
ii. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए सड़क सुरक्षा समर्थन योजना संचालित करता है।
iii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाना।

(2) इंजीनियरिंग:

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित करने और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता देना।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए अभिहित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार गृह स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।
vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान:-

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)

ख. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

ग. अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में दिनांक 31.10.2022 और दिनांक 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं के सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार

वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया।

xii. एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए 1 अप्रैल 2025 को नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

xiii. मध्यम और भारी शुल्क वाहनों में सक्रिय सुरक्षा सुविधाओं के लिए प्रकाशित नियम, जो एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 और क्वाड्रिसाइकिल (1 जनवरी, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 अक्टूबर, 2027 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग, एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम सहित ब्रेकिंग सिस्टम, और वाहन स्थिरता फंक्शन (वीएसएफ), लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एलडीडब्ल्यूएस), ड्राइवर का उनींदापन और ध्यान चेतावनी प्रणाली, ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली और एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए चेतावनी सूचना प्रणाली (1 अक्टूबर, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 जनवरी, 2028 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) प्रदान करते हैं।

xiv. ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली (एवीएएस) के लिए प्रकाशित नियम जोकि एआईएस-173 श्रवण मानकों के अनुरुप हों, को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह आवश्यकता 1 अक्टूबर 2026 को या उसके पश्चात् निर्मित नए वाहन मॉडल और 1 अक्टूबर 2027 को या उसके पश्चात् निर्मित मौजूदा वाहन मॉडल पर लागू होती है। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन कम गति पर लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करते हैं, इसलिए एवीएएस पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आने वाले वाहन के बारे में सचेत करने के लिए एक श्रव्य चेतावनी ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ती है।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है। यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। जबकि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. केंद्रीय सरकार, दिनांक 20.01.2026 की अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 167 और 167ए में संशोधन करके यातायात चालान जारी करने, भुगतान करने और उनका निपटारा करने के लिए एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और समयबद्ध ई-चालान ढांचा स्थापित किया गया है। चालान की ऑनलाइन चुनौती, स्वचालित अधिसूचनाएं और अनुपालन और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए संशोधनों में सुदृढ़ प्रवर्तन उपायों का भी प्रावधान है।

iv. सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियमावली, 2025 को अधिसूचित किया है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है और का.आ. 3505(अ) दिनांक 29.06.2026 के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

v. केंद्रीय सरकार ने एक लैप्स ना होने वाले राज्य सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना के माध्यम से और जमीनी स्तर पर लक्षित सड़क सुरक्षा उपाय करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समितियों को सशक्त बनाकर सड़क सुरक्षा उपायों के निरंतर वित्तपोषण और जवाबदेह कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा कोष (एसआरएसएफ) के गठन और उपयोग और जिला सड़क सुरक्षा समितियों को वित्तपोषण 2025 पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

vi. 10 जून, 2024 को सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की है।

vii. सरकार ने वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन कार्यक्रम (परिवर्तन योजना) के तहत दिल्ली-एनसीआर में पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को स्वच्छ और सुरक्षित विकल्पों के साथ बदलने में तेजी लाने के लिए दिनांक 14.07.2026 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना वाहन स्क्रैपिंग और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देती है, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार, उत्सर्जन में कमी और दीर्घकालिक गतिशीलता में वृद्धि होती है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए योजना (राह-वीर के रुप में नामकरण) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और बिना किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुँचाते हैं। योजना के अनुसार, राह-वीर के लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।

ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

iv. सरकार ने 5 मई 2025 को 'प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना' (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025) को अधिसूचित किया है। इसके पश्चात्, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रिया प्रवाह, हितधारक-वार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), और स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश 4 जून 2025 को अधिसूचित किए गए थे।
